फर्द अहकाम

बाबूलाल **बनाम** अशोक

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी   प्रार्थना पत्र 10/2020

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

ांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8.04.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी सं0 1 का जवाब बंद किया जाता हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों कां अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 42/3 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा स्थित ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान पटवार हल्का खिजूरिया ब्राहमणान भू0अ0नि0 सांभरिया तह0 बस्सी जिला जयपुर. के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 22/2020 उनवान बाबूलाल बनाम अशोक के निर्णय तक प्रार्थीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न न करे, तार फेंसिग, डोल, पेड को नष्ट न करे तथा रास्ता बन्द न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	